भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1456

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

देशद्रोह के मामले

†1456. श्री बी० श्रीरामुलु :

श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में देशद्रोह कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जिन लोगों के विरुद्ध देशद्रोह के अन्तर्गत आरोपपत्र दायर किए गए हैं उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक देशद्रोह कानून के अन्तर्गत राज्य-वार कुल कितनी महिलाओं के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किए गए हैं; और

(घ) देशद्रोह के मामलों की दोषसिद्धि दर का ब्यौरा क्या है और दोषसिद्धि दर में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (घ) : पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय होने के कारण, राजद्रोह के तहत दर्ज मामलों और आरोपपत्रित व्यक्तियों की संख्या आदि से संबंधित आंकड़े केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने वर्ष 2014 से धारा 124क के तहत दर्ज मामलों से संबंधित आंकड़े एकत्र करना आरंभ कर दिया है। एनसीआरबी आंकड़ों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है। जैसाकि अनुलग्नक में प्रस्तुत किया गया है, वर्ष 2014 में राजद्रोह के तहत कुल 47 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 58 व्यक्तियों की गिरफ्तारी शामिल है, जबकि 3 महिलाओं सहित 16 व्यक्तियों को आरोप-पत्रित किया गया था, तथा केवल एक व्यक्ति को दोषसिद्ध किया गया था।

अनुलग्नक

वर्ष 2014 के दौरान राजद्रोह (आईपीसी की धारा 124क) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले(सीआर), आरोप-पत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले(सीवी), मामलों की दोषसिद्धि की दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) (जिसमें पुरूष और महिला शामिल है) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्रसं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014							
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस			पीसीवी
						पुरूष	महिला	कुल	
1..	आन्ध्र प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	1	1	0	1	1	0	1	0
4.	बिहार	16	0	0	28	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1	1	0	1	1	0	1	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	2	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	18	10	1	18	10	0	10	1
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	5	0	0	4	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	2	2	0	4	1	3	4	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	2	0	0	0	0	0	0	0
	(कुल) राज्य	47	14	1	58	13	3	16	1
30.	अं. और नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दा .और न .हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
	(कुल) संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0
	(कुल) अखिल भारत	47	14	1	58	13	3	16	1
स्रोत: भारत में अपराध		पुलिस/न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों/व्यक्तियों में पूर्ववर्ती वर्षों के मामले/व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं।							